15.07.20 से..

नोट :- 1. आवेदक स्वयं, घोषणाकर्ताओं व क्षतिपूर्ति बंधक पत्र के गवाहों के पहचान पत्रों की सत्यापित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।

2. घोषणा पत्र का स्टाम्प घोषणाकर्ताओं के नाम से क्रय करें।

6. नाम हस्तान्तरण हेतु प्रशासनिक शुल्क 2000/- रूपये एवं GST 18% देय होगा।

2. मृत्यु प्रमाण पत्र

1. मेरा शपथ पत्र

3. क्षतिपूर्ति बंधक पत्र 4. उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र

5. अन्य उत्तराधिकारियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र।

संलग्न :--

दिनांक :--

माता पिता अन्य भवदीय

> हरताक्षर : नाम : पताः

मो. नं.

को हो चुकी है। मैं मृतक की उत्तराधिकारीणी / उत्तराधिकारी हूँ। अतः मेरे नाम पंजीकरण/आवंटन हस्तान्तरण करने के आदेश फरमाये जावें, मेरे अतिरिक्त मृतक के निम्न पुत्र / पुत्रियां / विधवा पत्नी / माता पिता व अन्य वारिसान के नाम निम्नलिखित हैः – पुत्र

विषय :- मृत्यु पश्चात् पंजीकरण हस्तान्तरण हेतु। संदर्भ :- पंजीकरण वरियता / आवास संख्या

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-.... राजस्थान आवासन मण्डल.

महोदयं.

पुत्री

विधवा पत्नि

फोटो नोटेरी / राजपत्रित अधिकरी से सत्यापित



केवल 100/- रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर

क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र

यह क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र आज दिनांक माह मन् को एक ओर से श्री / श्रीमती पुत्र / पुत्री / पत्नि निवासी जो एतद् द्वारा पश्चात् प्रथम पक्ष कहलायेगा जिसके अर्थ में अब तक प्रसंग में विरोध नहीं हो, उसके उत्तराधिकारी / पदोतरवती अभिहस्ताकनकर्त्ता सम्मिलित होगं एतद् पश्चात दूसरे भाग का पक्ष कहलायेगी, जिसके अर्थ में जब तक कोई विरोध नहीं हो उसके कार्यालय में अभिहस्ताकनकर्ता और उत्तराधिकारी सम्मिलित होगें।

चूँकि प्रथम भाग के पक्ष की यह इच्छा है कि इस आवटन का हस्तान्तरण यह कहते हुए कि वह प्रथम भाग के पक्ष के मृतक श्री/श्रीमती उत्तराधिकारी है, उसके नाम कर दिया जावें।

चूँकि द्वितीय भाग के पक्ष हस्तान्तरण पर कोई आपत्ति नहीं हैं, परन्तु यह कि प्रथम पक्ष का दूसरे भाग के पक्ष की समस्त प्रकार की घटनाओं, हानियों, हानि के क्लेमों जो कि इस प्रकार के आवटन से होगें कि क्षतिपूर्ति करने को तैयार हो।

अब यह सलेख निम्न प्रकार साक्ष्य रूप में निष्पादित किया है कि प्रथम भाग का पक्ष स्पष्ट असंदिग्ध रूप से यह घोषित करता हूँ कि प्रथम भाग का पक्ष, मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी हूँ। मृतक श्री/श्रीमती...... का प्रथम भाग का पक्ष अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हैं।

प्रथम भाग का पक्ष एतद द्वारा स्पष्ट रूप से इसका दायित्व लेता है कि यदि प्रथम भाग के पक्ष के नाम पर इस परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले आवंटन पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति उठाने से कोई नुकसान हानि या क्लेम उत्पन्न हो तो प्रथम भाग का पक्ष उसकी पूर्ति और पुनः पूर्ति करेगा और इस प्रकार से हुये समस्त नुकसान हानियां, क्लेम हेतु वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरादायी होगा और वह दूसरे भाग के पक्ष को इसकी प्रतिपूर्ति एवं हर्जाना अदा करेगा और इस संबंध में उत्तरान्न होने वाली समस्त आपत्तियों का उत्तरदायी होगा कि प्रथम भाग का पक्ष इस पर सडमत है कि दीवानी दायित्व के अतिरिक्त फौजदारी और ऐसी ही अन्य कार्यवाही का दायित जिसे दूसरे पक्ष संबंध में प्रथम पक्ष के विरूद्ध चलायें का उत्तरदायित्व उस पर होगा।

यह कि प्रथम भाग को पक्ष उसे श्री/श्रीमती के जिसया क्रय पद्धति का निरन्तर उत्तरदायित्व के रूप में जो मकान आवंदित हुआ हैं के संबंध में किराया क्रय पद्धति का निरन्तर टेके संबंधी इकरार नामें के समस्त मदों एवं शर्तों का वह पालन करेगा।

यह कि प्रथम भाग का पक्ष आगे इस पर भी सहमत है इस मकान संबंधित जो भी किश्ते देय हो या समय-समय पर जो भी किश्तें देय होगी उन सबका वह भुगतान द्वितीय भाग के पक्ष को करता रहेगा।

यह कि प्रथम भाग का पक्ष ऊपर संदर्भित आवंटित के संबंध में द्वितीय भाग के पक्ष से संबंधित जो भी नियम विनियम व कानूनी होगें, उनका वह पालन करेगा।

अनुसूची-"ए"

पंजीकरण/आवंटन का विवरण :--साक्ष्य के रूप में क्रमशः प्रथम भाग के पक्ष और द्वितीय भाग के पक्ष ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

साक्षी :-	1. नाम प्रथम भाग का पक्ष	
	पता	
साक्षी :-	2. नाम द्वितीय भाग का पक्ष	ł

मृत्यु उपरांत नामांतरण हेतु 15.07.20

केवल 100 / - रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर

रापथ पत्र
श्री/श्रीमती/कु पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री निवासी
एतद द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ / करती हूँ।
1. यह कि श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी
मण्डल में मकान/पलैट हेतु आवेदन किया था, जिसका पंजीकरण/आवंटन संख्या कॉलोनी
2. उक्त पंजीकरण/आवंअन पत्र पर आवासन मण्डल द्वारा श्री/श्रीमती/सुश्री दो मकान संख्या
हैं। आवासन मण्डल द्वारा आवंटन पत्र दिनांक
कब्जा है। 3. उक्त पंजीकरण आवेदक/आवंटी का देहान्त दिनांक को हो गया हैं और मृतक के निम्न उत्तराधिकारी हैं:
(む) リス 1 2
 (ख) पुत्रियां 1
4. उक्त उत्तराधिकारियों व मेरे अतिरिक्त
समस्त उत्तराधिकारियों के घोषणा पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।
शपथ ग्रहिता मैं
शपथ ग्रहिता,
नोट :- नोटरी/प्रथम श्रेणी दण्डनायक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करें।

मृत्यु उपरांत नामान्तर हेतु 15.07.20

केवल 100/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प ऐपर पर

घोषणा पत्र

नाम	•	सम्बन्ध	हस्ताक्षर	फोटो
1.		а. Р Я		-
2.				
3.				-

- नोट :- 1. घोषणा पत्र शपथ पत्र व क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र नोटरी / प्रथम श्रेणी दण्डनायक द्वारा सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करें।
 - पंजीकृत आवेद / आवंटी की मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति भी संलग्न करें।

मृत्यु उपरांत नामांतरण हेतु. 15 जुलाई 2 0 से ..